M877/DY-20-67

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

## NOTIFICATION

No. 47 /2015

New Delhi, the \8 June, 2015

S.O.\_\_(E). In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "Punjab State AIDS Control Society", a body constituted by the Government of Punjab, in respect of the following specified income arising to that body, namely:-

- (a) amount received in form of grants-in-aid from the Government of India; and
- (b) interest earned on grants-in-aid from the Government of India.
- 2. This notification shall be deemed to have been applied for the financial years 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 and 2015-16.
- 3. This notification shall be effective subject to the conditions, namely, that the Punjab State AIDS Control Society:-

(a) does not engage in any commercial activity;

(b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and

(c) it files return of income in accordance with the provisions of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

[F.No.196/82/2012-ITA-I]

(DEEPSHIKHA SHARMA)
Director to the Government of India

To

The Manager, Government of India Press, Mayapuri Press, New Delhi. [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड 3, उप-खण्ड () में प्रकाशानार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## <u>अधिसूचना</u>

## संख्या 4 🔭 /2015

नई दिल्ली, 🏻 🦞 जून, 2015

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनों हेतु पंजाब सरकार द्वारा गठित निकाय पंजाब राज्य एड्स नियंत्रण समिति को उसे होनेवाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, नामत:-

- (क) भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि; तथा
- (ख) भारत सरकार से सहायता अन्दान पर अर्जित ब्याज
- 2. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 के लिए लागू माना जाएगा और वित्त वर्ष 2015-16 के संबंध में लागू होगी।
- 3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी अर्थात यह कि पंजाब राज्य एड्स नियंत्रण समिति:-
  - (क) किसी भी वाणिज्यक गतिविधि में संलिप्त नहीं होती है;
  - (ख) इनकी गतिविधियों और इनकी विनिर्दिष्ट आय में पूरे वित्त वर्ष(वर्षों) के दौरान कोई परिवर्तन न हो; तथा
  - (ग) यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करती हो।

[फा.स.196/82/2012-आयकर नि-।]

(दीपशिखा शर्मा) निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, (राजौरी गार्डन के समीन), नई दिल्ली 1